तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	"पूर्व का स्थगन आदेश दिनांक 21/6/19 आगामी तारीख तक यथावत रहे" को निरस्त समझा जावे।	
14/01/2022	प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत मिसल तलबी का पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच लोक अदालत की भावना से व आपसी समझाईश से राजीनामा हो जाने से वाद पत्र व स्थगन प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहते। जिससे की पत्रावली को आज ही तलब की जावे। पत्रावली तलब की गई। प्रार्थी उपस्थित व प्रार्थी वकील उप. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित राजेन्द्रपाल द्वारा मूल पत्रावली में वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र को जरिये राजीनामा विड्रो किए जाने हेतु पेश कर निवेदन किया की प्रार्थी व अप्रार्थीगण के बीच राजीनामा हो जाने से प्रार्थी द्वारा वाद जरिए राजीनामा विड्रो किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। साथ ही प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र के संबंध में राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में चल रही अपील को भी प्रार्थी द्वारा विड्रो किया गया है जो की माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया है। अतः अन्तास	पक्षकारान हाजिर रूपा लाल अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	स्थगन प्रार्थना पत्र को जरिए विड्रोल खारिज किया जाकर व पुन पेश करने की अनुमति के साथ खारिज किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में मूल वाद को जरिए राजीनामा विड्रो खारिज किया गया है ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 राज काश्त अधि स्वत ही infructuous हो जाता है। अत प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज काश्त अधिनियम को पुन पेश करने की अनुमति के साथ जरिए राजीनामा विड्रोल खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी मूल पत्रावली हो। Sd/- उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोधपुर (दक्षिण)	